न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
35 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	09.06.2020	20.01.2023

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....आवेदक

बनाम

1–श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री धन्नालाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स धन्नालाल कौशल कुमार जैन, जैन मोहल्ला गोपाल जी के मन्दिर के पास नगर आंवडा तह. मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी जैन मोहल्ला गोपाल जी के मन्दिर के पास आंवडा तह. मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स धन्नालाल कौशल कुमार जैन, जैन मोहल्ला गोपाल जी के मन्दिर के पास नगर आंवडा तह. मालपुरा जिला टोंक
3–श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक निवासी ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक
4–मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक
.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप.।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 20.01.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2019 को समय 01:31 पी.एम पर मैसर्स धन्नालाल कौशल कुमार जैन, जैन मोहल्ला गोपाल जी के मन्दिर के पास नगर आंवडा तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री धन्नालाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक / प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार जैन की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल श्री गोवर्धन ब्राण्ड (Hyfdrogenated Vegitable Oil Shree Goverdhan Brand)** जिसके बैच नं. 07 व पैंकिंग की दिनांक अक्टूबर 2019 थी, दुकान की रैक में 450–450 ग्राम के 36 पैकेट रखे हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री राजेन्द्र कुमार जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल श्री गोवर्धन ब्राण्ड (Hyfdrogenated Vegitable Oil Shree Goverdhan Brand)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 450–450 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1800 ग्राम खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल श्री गोवर्धन ब्राण्ड (Hyfdrogenated Vegitable Oil Shree Goverdhan Brand)** 450–450 ग्राम के 4 नग में से 450–450 ग्राम के नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2357 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2357 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री राजेन्द्र कुमार जैन ने मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एव नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

मैसर्स श्री पवन एजेन्सीज कृष्णा टाकीज के सामने ट्रक स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स रिषभ एन्अरप्राईजेज बूंदी रोड कुन्हाडी कोटा का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जिसके व्यवहारी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पर्क करने पर उक्त फर्म के मालिक की मृत्यु होना ज्ञात हुआ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2457 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2571/एक्ट/2019/2113 दिनांक 18.11.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल श्री गोवर्धन ब्राण्ड (Hyfdrogenated Vegitable Oil Shree Goverdhan Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना अप्रार्थीगण को भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अभिभाषक श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल श्री गोवर्धन ब्राण्ड (Hyfdrogenated Vegitable Oil Shree Goverdhan Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल श्री गोवर्धन ब्राण्ड (Hyfdrogenated Vegitable Oil Shree Goverdhan Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 8,000/—(अक्षरे आठ हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.01.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0